

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजि० नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/37/2023	2023/306	28.06.2023	29.05.2024

01- सुरेश पुत्र जगदीश जाति जोगी निवासी ग्राम बगड राजपूत तहसील रामगढ जिला अलवर ।

—: अपीलाण्ट

बनाम

01- तहसीलदार रामगढ जिला अलवर।

—: रेस्पौडेन्ट

अपील विरुद्ध तहसीलदार रामगढ दिनांक
27.12.2022 अन्तर्गत धारा 91 भू० राजस्व
अधिनियम प्रकरण संख्या 122/2022

उपस्थित:-

01-श्री जलालुदीन

—वकील अपीलाण्ट



अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ के आदेश दिनांक 27.12.2022 प्रकरण संख्या 122/2022 जिसके द्वारा सम्वत 2079 में ग्राम बगड राजपूत की आराजी खसरा नम्बर 479 रकबा 01.00 है० में से 0.30 है० किस्म गैर सायल अपीलान्ट में अवैध रूप से गेहूँ काश्त कर कब्जा कर अतिक्रमण कर लिये जाने पर पटवारी हल्का बगड राजपूत द्वारा दिनांक 07.12.2022 को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त बगड मेव के तहत न्यायालय में प्रस्तुत की गई। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ० को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि पटवारी हल्का बगड राजपूत ने एक रिपोर्ट तहत अदालत में इस आशय की पेश की है, कि सम्वत 2079 में ग्राम बगड के आराजी खसरा न० 479 रकबा 1.00 है० में से 0.30 है० पर गैर सायल अपीलान्ट अवैध रूप से गेहूँ काश्त कर कब्जा कर अतिक्रमण कर लिये जाने जाने पर पटवारी हल्का बगड राजपूत द्वारा दिनांक 07.12.2022 को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त बगड मेव के तहत न्यायालय में प्रस्तुत की गई। जिसके बाद अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम का नोटिस मिन अपीलान्ट को जारी किया गया तथा प्रकरण में दिनांक 27.12.2022 को आलौच्य निर्णय परित करते हुये आदेश दिया गया कि गैर सायल को सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किए जाने पर बेदखली के आदेश पारित किये गये, साथ ही पश्चातवर्ती अतिक्रमण किये जाने के फलस्वरूप 03 माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किये जाने एवं गैर सायल की गिरफ्तारी हेतु संबंधित पुलिस थाना को गिरफ्तारी वारंट जारी कर दण्ड स्वरूप लगान 0.60/- रूपये का 50 गुना रूपया 30/- रूपये पेनल्टी आरोपित की जाकर मॉग कायमी हेतु टी.आर.ए तहसील हाजा को लिखा जावे। पेनल्टी वसूली, फसल नीमाली एवं बेदखली हेतु पटवारी/भू०अ०निरीक्षक को लिखा जाकर बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर फरमायी गयी। प्रार्थी अपीलान्ट/गैर सायल द्वारा आराजी खसरा नंबर 479 रकबा 01.00 है० वाके ग्राम बगड राजपूत तहसील रामगढ जिला अलवर की भूमि में से 0.30 है० पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया गया और नाही किसी प्रकार की कोई फसल बोई गई है। मात्र हल्का

पटवारी के प्रार्थना-पत्र व बयान के आधार पर उपरोक्त प्रकरण में तहत न्यायालय द्वारा आलौच्य आदेश सादिर फरमाया गया है। अपीलान्त को नोटिस की कोई तामील नही हुई और नही सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। और तहत अदालत ने आलौच्य आदेश पारित किया है। इसलिये तहत अदालत का आदेश अपारस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण के आधार पर तीन माह के सिविल कारावास के दण्ड से अपीलान्त को दण्डित किया गया। जबकि हल्का पटवारी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत किसी प्रकार का कोई दस्तावेज या प्रमाणित प्रतिलिपि पेश नही की गई है। नही अपीलान्त को तहत अदालत द्वारा अन्तर्गत धारा 91(6) का नोटिस दिया गया। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि पूर्व निर्णयों की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश नही की गई। नही अपीलान्त को तहत अदालत द्वारा अन्तर्गत धारा 91 (6) का नोटिस दिया गया। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि पूर्व निर्णयों की प्रमाणित प्रतिलिपि पत्रावली पर पेश करनी होती है। लेकिन उक्त प्रकरण में हल्का पटवारी के बयानों के आधार पर तहत न्यायालय ने आलौच्य आदेश पारित किया है। तहत न्यायालय के समक्ष हल्का पटवारी के बयान साईक्लोस्टाईल में दिये गये है। तथा न्यायालय आदेश भी प्रिटेन्ड फोरमेट में पहले से छपे हुये आदेश में रिक्त स्थानों कि पूर्ति करते हुये किया गया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय को अपनी पत्रावली की आदेशिका में यह दर्ज किया है। निर्णय पृथक से लिखाया गया है। जोकि न्यायालय कार्यवाही के अनुसार संगत नही है। अपीलाधीन प्रकरण का निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त की अनुपस्थिति में किया गया है। अपीलान्त को सुनवाई का व जवाब देही का समुचित अवसर प्राप्त नही हुआ है। जबकि प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है कि प्रत्येक व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था। अपीलान्त को तहत न्यायालय में सुनवाई का उचित अवसर प्रदान नही किया गया नही अपीलान्त को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर नही मिला। प्रकरण संख्या 122/22 की मिन अपीलान्त को पूर्व में कोई जानकारी नही थी। मिन अपीलान्त निर्णय के दिन तहत अदालत में उपस्थित नही था। जिस कारण मिन अपीलान्त को तहत अदालत के उक्त निर्णय की पूर्व में जानकारी नही हो सकी। इसलिये अपीलान्त समयवधि में पेश नही की जा सकी। जिसमें मिन अपीलान्त की कोई लापरवाही या बदयान्ती नही है। कि 16.06.2023 को तहत अदालत के निर्णय के बाद पटवारी हल्का द्वारा मौके पर आकर तहत अदालत के उक्त निर्णय की जानकारी मिन अपीलान्त को मोखिक रूप से देने पर हुई। जानकारी होने पर मिन अपीलान्त ने नकल के लिये जरिये अधिवक्ता दिनांक 19.06.2023 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जो नकल दिनांक 21.06.2023 को तैयार होकर दिनांक 21.06.2023 को सायंकाल प्राप्त हुई उसके बाद दिनांक 21.06.2023 को नकल वकील साहब को दिखा कर कानूनी राय ली। तो वकील साहब ने अविलम्ब अपील न्यायालय श्रीमान में पेश करने की राय दी जिसके बाद अपील करने के लिये आवश्यक खर्चे का इंतजाम कर वकील साहब से अपील आदि तैयार करा कर आज अपील सर्वप्रथम जानकारी की दिनांक 16.06.2023 से अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। अपीला अपीलान्त पेश कर निवेदन हे कि मिन प्रार्थी अपीलान्त की अपीला स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ द्वारा मुकदमा संख्या 122/2022 बअनुवान सरकार बनाम सुरेश में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 27.12.2022 को अपारस्त फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलान्त न अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.12.2022 के विरुद्ध यह अपील न्यायालय हाजा को दिनांक 23.06.2023 को पेश की गयी है। जो करीब 6 माह के विलम्ब पेश की गयी है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न द्वष्टान्तों में मियाद के बिन्दू पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुये विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा राजकीय चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया। अपीलांट पूर्व में अतिक्रमी रहा है। जो पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त संबंध में अपीलांट को नोटिस जारी किया गया था। नोटिस के उपरांत भी अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में कोई जवाब पेश नहीं गया। ना ही पटवारी हल्का के बयान साईक्लोस्टाईल है। जिस कारण अपीलांट द्वारा अपील में अंकित तथ्य अप्रमाणित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.12.2022 न्यायोचित प्रक्रियानुसार है, किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलान्त खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.12.2022 यथावत रखा जाता है। निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ़्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अति० जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज०)